अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 08 /2015

अरूण कुमार गुप्ता,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकःलखनऊःजनवरी 25,2015

प्रिय, महोदय

आप अवगत है कि अभी हाल ही में जनपद लखनऊ व उन्नाव में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की असामायिक मृत्यु हो गयी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0शासन के पत्र संख्याः 58के/छः सानिप्र-15-15(2)/2015 दिनांकित 13.01.2015 के माध्यम से आप सभी को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये हैं।

आप भिज्ञ है कि आबकारी राजस्व प्रदेश के वित्तीय संसाधन का महत्वपूर्ण अंग है। अवैध मदिरा निष्कर्मण व तस्करी से लायी गयी अवैध मदिरा से जहॉ एक और आबकारी राजस्व की हानि होती है, वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा में जहरीली मिथाइल एल्कोहल आदि के मिश्रण हो जाने से विषाक्त मदिरा काण्ड की दुखद घटनाएं भी घटित हो जाती है, जिससे जनहानि के साथ कानून व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही स्थानीय पुलिस से जनता का विश्वास भी कम होता है।

विषाक्त मदिरा काण्डों पर नियन्त्रण व आबकारी की सुरक्षा हेतु अवैध मदिरा के निर्माण/व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट/गुण्डा एक्ट तथा गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश समय-समय पर मुख्यालय स्तर से प्रेषित किये गये है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जनपदों में उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कहीं-कहीं थाना स्तर से भी कुछ पुलिस कर्मी अवैध मदिरा के निष्कर्षण/बिक्री/तस्करी/व्यापार करने वालों से सॉठ गॉठ रख रहे हों। अवैध मदिरा की बिक्री/निष्कर्षण एवं तस्करी आदि की शिकायत पाये जाने वाले स्थानों एवं इस अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध आबकारी एक्ट/गुण्डा एक्ट तथा गैगेंस्टर एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय, ताकि इस प्रकार की दुःखद घटनाए न हो। अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु आप अपने पर्यवेक्षण में निम्न कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

- अवैध एवं कच्ची शराब के कारोबार की सूचना स्थानीय थाना स्तर पर हर सम्भव श्रोतो के माध्यम से संकलित कर लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही करायी जाय।
- अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जाय।
- अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री एक संगठित अपराध है। इस कार्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः लिप्त पाये जाने पर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर उनके विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही किया जाय तथा अवैध शराब के व्यापार से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत भी की जाय।
- संवेदनशील स्थानों/मार्गो पर स्थापित ढॉबो पर समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग करायी जाय।
- जनपदों में विशेष रूप से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाय जहॉ अवैध मदिरा का निर्माण किया जाता हो।
- जनपदों के ऐसे स्थलों ग्रामों को चिन्हित किया जाय जहॉ अवैध मदिरा का निर्माण/बिक्री की पूर्व में सूचना हो एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा उनकी अवैध कारगुजारी पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों की सीमाए खुली होने की स्थिति में मुख्य मार्गो के अलावा देहात के रास्तों से भी काफी तस्करी होती है। अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित जनपदों में सतर्क दृष्टि रखी जाय और तस्करी को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
- अवैध तस्करी के मामलों में कैरियर वाहनों के अलावा इस प्रकार की घटनाओं को संचालित करने वाले संगठित माफियाओं का चिन्हांकन करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
- जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में संगठित रूप से संचालित कच्ची शराब के व्यापार में संलिप्त संगठित माफियाओं तथा दबिश के दौरान मौके पर पकड़े गये छोटे मोटे अभियुक्तों के विरूद्ध भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त दिशा निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में मात्र आपके मागदर्शन के लिए हैं। इसके अलावा आप अपने जनपद की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थतियों के आधार पर अन्य आवश्यक कदम उठा सकते है।

मै आप से आपेक्षा करूंगा कि आप अपने जनपद के आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित सहयोग प्रदान करते हुए अवैध मदिरा के अड्डो के संचालन के रोकथाम हेतु कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों यथेष्ठ निर्देश निर्गत करें तथा सुनिश्चित करें जिससे अवैध मदिरा की तस्करी एवं अवैध निष्कर्षण का आपके जनपद में पूर्णरूप से उन्मूलन किया जा चुका है। इस प्रकार के अपराधों की समीक्षा आप द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में भी की जायेगी।

मुझे आशा है कि इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हो सकेंगे। कृपया इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित करें।

भवदीय,

(अरूण कुमार/गुप्ता)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, लखनऊ उ0प्र0।

2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।

3.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।

4.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।

5.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।

6.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।